फाइल नं0-71-3002(003)/1/2022-03

24/2025/I/881225/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/505, दिनांक 22.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई, सिद्धार्थनगर, मीरजापुर, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर, जौनपुर तथा फेज-3 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई, सिद्धार्थनगर, मीरजापुर, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर, जौनपुर तथा फेज-3 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 69,20,00,000/- (रूपये उनहत्तर करोड़ बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) संबंधित निदेशक द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 यथासंशोधित में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा। बजट संक्रमण/आवंटन, संबंधित मद में बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं की जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(7) धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210051050349 (मेडिकल कालेज, हरदोई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050349 मेडिकल कालेज, हरदोई	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	6,75,00,000 (रुपये छह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
	कुल			**6,75,00,000 (रुपये छह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050352 (मेडिकल कालेज, सिद्वार्थनगर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050352 मेडिकल कालेज, सिद्वार्थनगर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	4,75,00,000 (रुपये चार करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
	कुल			**4,75,00,000 (रुपये चार करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050355 (मेडिकल कालेज, मीरजापुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050355 मेडिकल कालेज, मीरजापुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
	कुल			**5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050381 (मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050381 मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	2,20,00,000 (रुपये दो करोड़ बीस लाख मात्र)
	कुल			**2,20,00,000**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				(रुपये दो करोड़ बीस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050385 (मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050385 मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
	कुल			**4,00,00,000** **(रुपये चार करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050386 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050386 राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	5,50,00,000 (रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**5,50,00,000** **(रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050393 (फेज-III के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050393 फेज-III के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	41,00,00,000 (रुपये इकतालीस करोड़ मात्र)
	कुल			**41,00,00,000** **(रुपये इकतालीस करोड़ मात्र)**

महायोग	69,20,00,000 (रुपये उनहत्तर करोड़ बीस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-उपरोक्त, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकारए (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकारए (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई, सिद्धार्थनगर, मीरजापुर, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर, जौनपुर, अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, गोण्डा, चन्दौली, पीलीभीत, बुलन्दशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर एवं सोनभद्र।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई, सिद्धार्थनगर, मीरजापुर, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर, जौनपुर, अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, गोण्डा, चन्दौली, पीलीभीत, बुलन्दशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर एवं सोनभद्र।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, हरदोई, सिद्धार्थनगर, मीरजापुर, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर, जौनपुर, अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, गोण्डा, चन्दौली, पीलीभीत, बुलन्दशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर एवं सोनभद्र।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।